कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक 995 /21सी0 दिनांक 30 /04/ 2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग मसूरी।

विषय :- **जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी से मसरास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.222 है0 वनभूमि का (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/40428/2019)**

सन्दर्भः- आपके कार्यालय पत्रांक 2686/12-1 मसूरी दिनांक 13.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उल्लेखित कमियों का निराकरण निम्नप्रकार से हैः-

क0सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम क्यारी में 24.444 है0 सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है, परन्तु इससे सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन पार्ट-1 में अंकित नही की गयी है। यह भूमि ग्राम क्यारी सिविल सोयम के किस खाते/खसरे के अन्तर्गत है, से सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्ताव में चस्पा नही किये गये है।	प्रारूप 6 संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न की जा रही है, जिसमें उप जिलाधिकारी व तहसीलदार के हस्ताक्षर है।
2	ऑनलाईन पार्ट-1 के पैरा बी0-1 में अंकित प्रस्ताव इस परियोजना से किस प्रकार सम्बन्धित है, स्पष्ट करें।	प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/37504/2018 का विषयकगत मोटर मार्ग से कोई सम्बन्ध नही है। सम्भवतः यह पोर्टल परिवर्तन/सकमंण के दौरान सिस्टम एरर के कारण लिंक हुआ हो एवं ऑनलाईन के पार्ट-1 के पैरा बी0-1 में परिवेश की साईट में अपडेट होने के कारण प्रस्ताव में प्रदर्शित हो रहा है, परन्तु ऑनलाईन प्रस्ताव में हटाने का प्रयास किया गया तो Delete का Option नही होने के कारण हटाया नही जा सका है। कृपया अपने स्तर से उक्त पोर्टल त्रुटि को हटाने की कृपा करें।
3	VLC Proceeding में केवल ग्राम पंचायत क्यारी की उपस्थिति शीट प्रस्ताव में चस्पा की गयी है, न ही इसका उल्लेख ऑनलाईन पार्ट-1 के Village wise breakup में किया गया है।	ग्राम पंचायत क्यारी, मसरास तथा ख्यार्सी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप 23 व 23.1 संलग्न कर दिया गया है। ग्राम पंचायत बिच्छु की नाप भूमि नही आ रही है।
4	प्रस्ताव में संलग्न Cost benefit analysis में NPV Eco class III के आधार पर आंकलित की गयी है, जो कि सही नही है।	इस कार्यालय के पत्रांक 950/21सी0 दिनांक 26.04.2024 द्वारा उप वन संरक्षक मसूरी, वन प्रभाग मसूरी को नई दरों पर आंकलन करने हेतु प्रेषित किया गया है।

कमशः.........2

5	मक डम्पिंग योजना में निम्नलिखित बिन्दु को संज्ञान में लाना आवश्यक है। i) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मक डम्पिंग प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप सुधार नही किया गया है। ii) मक गणना में Swelling Factor 10 प्रतिशत ली गयी है, यह किस प्रकार से उचित है, प्रयोक्ता अभिकरण अवगत करायें। iii) मक गणना हेतु कटिंग हेतु चट्टान का ढलान 40^0 लिया गया है, किन्तु प्रस्ताव में चस्पा की गयी भूगर्भीय आख्या के बिन्दु सं0 02 में स्पष्ट लिखा गया है कि वन भूमि में ढलान 60^0 तक अथवा अधिक है। iv) मक डम्पिंग हेतु 4 नाप स्थलों का चयन किया गया है, किन्तु इसका लैण्ड शैड्यूल में उल्लेख नही है।	i) प्रस्ताव में संलग्न मक डिम्पिंग प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप सुधार कर दिया गया है। ii) Swelling Factor -25 प्रतिशत अंकित कर दिया गया है। iii) मक गणना के लिये वन भूमि में ढाल 60 प्रतिशत व गैर वनभूमि में ढाल 30 प्रतिशत लिया गया है। iv) डम्पिंग हेतु चयनित मक डिस्पोजल स्थानों का विवरण कोर्डिनेट सहित अंकित कर दिया गया है।
8	प्रश्नगत मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित वन भूमि मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10 कि0मी0 के परिधि के अन्तर्गत पडता है। अतः उक्त प्रकरण में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अनापत्ति आवश्यक है।	प्रस्तावित स्थल की मसूरी वन्य जीव आभ्यरण्य की सीमा से निकटतम हवाई दूरी 6.2 कि0मी0 है, प्रमाण पत्र संलग्न है।

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

पत्रांक 995/21 सी0 दिनांक 30/09/2024

प्रतिलिपि :–1. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।
2 सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता,/खण्डीय अमीन, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

कार्य का नामः— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी से मसरास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.222 है0 वनभूमि का (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

Co-ordinates muck disposal points

Muck Disposal point

क0सं0	उत्तरी अक्षांश (N)	उत्तरी अक्षांश (E)	टिप्पणी
1	$30^0$32' 14.83" N	$78^0$06'42.54" E	नाप भूमि खाता सं0 10,43,25,18,73,48,56,60,83,67,64,27,03,08, 81,22 खसरा नं0 2110,2112,2114,2115,2191,2189,591,2190,594,2192,2194,2211, 599,605,2195,593,2197,592,601,595,607,596,598,604,600,602,60 6, 603,608,609 कुल क्षेत्रफल = 0.377 है0
2	$30^0$32' 19.50" N	$78^0$06'24.24" E	नाप भूमि खाता सं0 03,08,52,73,29,31,16,22,83,10,48,64,27, 69,33 खसरा नं0 432,433,436,434,435,429,430,437,431,415,401,416,439,413,413, 417,412,418,402,410 कुल क्षेत्रफल = 0.248 है0
3	$30^0$32' 31.73" N	$78^0$06'1.43" E	नाप भूमि खाता सं0 43 खसरा नं0 1997,1999,2001,2005,2007,2008,2009 कुल क्षेत्रफल = 0.241 है0
4	$30^0$32' 37.03" N	$78^0$03'24.43" E	नाप भूमि खाता सं0 10 खसरा नं0 1531,1532,1534,1535,1536 कुल क्षेत्रफल = 0.559 है0

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी से मसरास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.222 है0 वनभूमि का (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

Muck Disposal Exercise Index

1- Muck Disposal annexure

2- Detail of muck disposal yard with land owner annexure - II

अपर सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

Annexure-I

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी से मसरास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.222 है0 वनभूमि का (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

Summary of Dabries Disposal

S.no	Total Dabris Cum	Material disposal by cartage (cum)	Reused material for road construction (cum)	Total disposal in dumping zone (cum)	Balance dabries
1	255750.00	44850.00	210900.00	44850.00	Nil

अपर सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

Forest land Required for development of muck disposal site

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी से मसरास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.222 है0 वनभूमि का (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

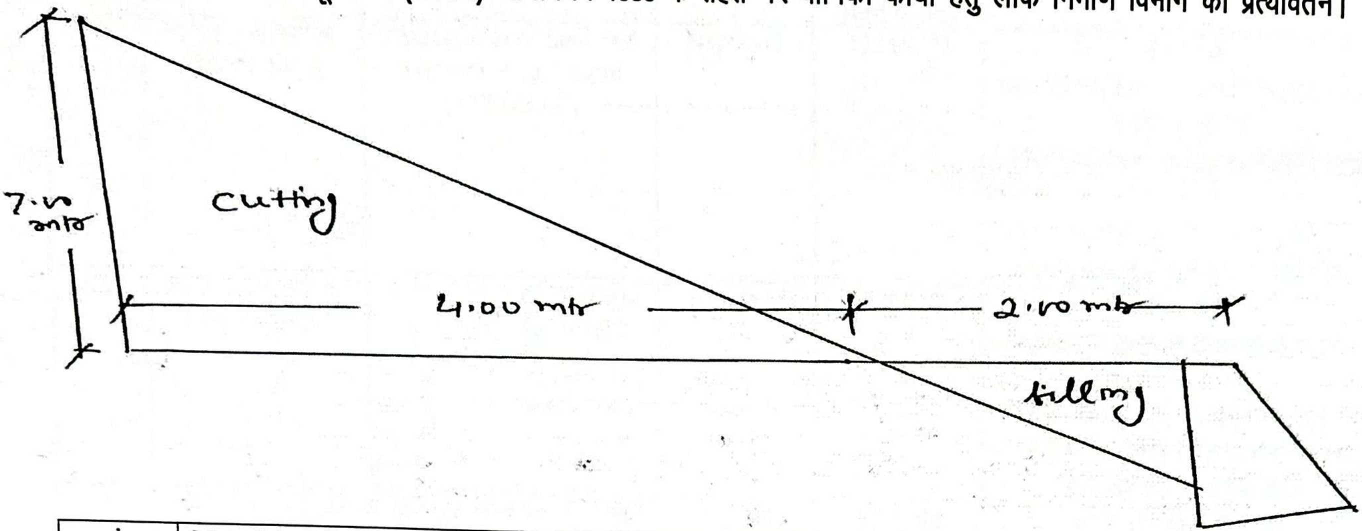

i	Material reclined from hill side cutting (Avrg. Hill side slope takan 60 degree for forest area, & 30 degree for non forest area)		
	1x1x12300x4.00x7.00 / 2	=172200.00	cum
ii	Muck produced at non forest land		
	1x1x2700x6.00x4.00 / 2	=32400.00	cum
	Total Muck	=204600.00	
iii	Taking arg swell factor @25%	= 51150.00	cum
	Total	=255750.00	cum

Disposal and use of material

S.no.	Item	Calculation	Qnt.	
1	R.R Stone masonry	1x1x12300/(1.9 +0.60)4.00 / 2	61500.00	cum
3	H.P. Stone filling	1x1x12300/(1.00 +0.60) x2.5 / 2	24600.00	cum
4	C/o wire creates	1x3000x6.75	20250.00	cum
	Cross dranage	1X2x120x6.50x1x2	3120.00	cum
5	WBM	1x15000x4.50x0.33	22275.00	cum
7	C/o of parapets	1x3000x3.00x0.6x0.45	2430.00	cum
8	For Filling	30 % off 255750.00	76725.00	cum
A		Total used material	210900.00	cum
B		Materail disposal by cartagein damping yard	44850.00	cum

Location and quantity of debris disposal

S.no.	Location fo dumping yard	Size of dumping yard	Type of land	Capacity of damping yard (cum)	Remark
1	30^{0}32' 14.83" N 78^{0}06'42.54" E	Taking area of land and 3.00 mtr Avg. height (3770X3.00)	Nap land	11310.00	खाता सं0 10,43,25,18,73,48,56,60,83,67,64,27,03,08, 81,22 खसरा नं0 2110,2112,2114,2115,2191,2189,591,2190,594,2192,2194,2211,599,605,2195,593,2197,592,601,595,607,596,598,604,600,602,606, 603,608,609 कुल क्षेत्रफल = 0.377 है0
2	30^{0}32' 19.50" N 78^{0}06'24.24" E	Taking area of land and 4.50 mtr Avg. height (2480X4.50)	Nap land	11160.00	खाता सं0 03,08,52,73,29,31,16,22,83,10,48,64,27, 69,33 खसरा नं0 432,433,436,434,435,429,430,437,431,415,401,416,439,413,413,417,412,418,402,410 कुल क्षेत्रफल = 0.248 है0
3	30^{0}32' 31.73" N 78^{0}06'1.43" E	Taking area of land and 3.00 mtr Avg. height (2410X3.00)	Nap land	7230.00	खाता सं0 43 खसरा नं0 1997,1999,2001,2005,2007,2008,2009 कुल क्षेत्रफल = 0.241 है0
4	30^{0}32' 37.03" N 78^{0}03'24.43" E	Taking area of land and 3.00 mtr Avg. height (5590X3.00)	Nap land	16770.00	खाता सं0 10 खसरा नं0 1531,1532,1534,1535,1536 कुल क्षेत्रफल = 0.559 है0
			Total	46470.00	

Muck disposal plan

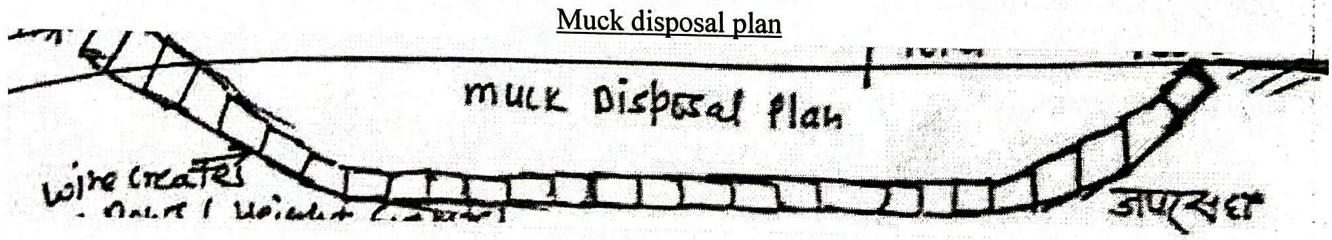

अपर सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड़

सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,थत्यूड़

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,थत्यूड़

कार्यालय

"उत्तराखण्ड वन–सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 243 / 32-1-2(जी.आई.एस.) दिनांकः देहरादून, 07 अगस्त 2020

सेवा में,

पत्राक 791
फाईल 21 सी0
दिनांक 14/8/2020

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी से मसरास मोटर मार्ग पर पडने वाली वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लो0नि0वि0 प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 1001/21 सी0 दिनांक 28.07.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी से मसरास मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित स्थल की मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 6.2 कि0मी0 GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

भवदीय,

7/8/2020

उप वन संरक्षक,
अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

AE-II / Amin
14/08/20
Ex Eng.
14/8/20

प्रारूप– 6

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ द्वारा प्रस्तावित अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तानन्तरण के लिए प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग के आदेशानुसार दिनांक 16.03.2018 तथा 10.04.2018 को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्ताव विभाग के निम्न अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया ।

1. श्री बचन सिंह महर, वन दारोगा क्यारी अनुभाग देवलसारी रेंज।
2. श्री अतर सिहं चौहान, वनबीट अधिकारी क्यारी ।
3. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, वनक्षेत्राधिकारी भद्रीगाड रेंज।
4. श्री आनन्द सिंह कण्डारी, वन दरोगा कोडी बीट।
5. श्री वख्तौरू वन बीट अधिकारी कोडी।
6. श्री पूरण सिंह कण्डारी राजस्व उपनिरीक्षक क्यारी
7. श्री धनीलाल राजस्व उपनिरक्षक नैनबाग।
8. श्री अमित कश्यप , अपर सहायक अभियन्ता , अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।
9. श्री बचन सिंह मल्याल अमीन अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।

लो0नि0वि0, थत्यूड द्वारा क्यारी से मसरास मोटर मार्ग लम्बाई 15.00 किमी0 चौड़ाई 9.00 मी0 प्रस्तावित की गई है जो मसूरी वन प्रभाग देवलसारी रेंज के अन्तर्गत क्यारी क0 नं0, 1,2,3,3बी0 व 4 तथा भद्रीगाड रेंज कोडी बीट सं0 8 वनप्रभाग मसूरी आरक्षित वन भूमि सिविल भूमि एवं नाप भूमि में है।

क्र0सं0	प्रस्तावित मोटर मार्ग में आने वाली भूमि का विवरण	प्रस्तावित कार्य	आरक्षित वन भूमि की लम्बाई चोड़ाई (मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल है0 में
1	आरक्षित वन भूमि	मोटर मार्ग	12387	9.00	11.148
2	सिविल भूमि	मोटर मार्ग	1193	9.00	1.074
3	नाप भूमि	मोटर मार्ग	1420	9.00	1.278
		योग	**15.00**		**13.500**

अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन एवं सिविल वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

कसं0	भूमि का प्रकार,	क्षेत्रफल है0 मी0
1	आरक्षित वन भूमि	11.148
2	सिविल वन भूमि	1.074
3	**योग**	**12.222**

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल आपेक्षित है0 वन भूमि व नाप भूमि का निरीक्षण किया गया एवं भूमि की स्थिति समस्त बाधक वृक्षो की गणना कर पेंट से कंमाक अंकित किये गये है। जिनकी सूची तैयार कर पृथक संलग्न की जा रही है। प्रास्तावित संमरेखण से वृक्ष सघन रूप से विद्यमान है एवं स्थल का घनत्व 0.6 से 0.7 के बीच है स्थल पर कृल वृक्षों का सारांश संलग्न है।

आरक्षित वन भूमि 11.148 तथा सिविल वन भूमि 1.074 है0 कुल 12.222 है0 के दुगने क्षेत्रफल 24.444 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल सोयम भूमि 24.444 में चयनित किया गया है।

जिसका क्षेत्रफल 24.444 है0 है। जिसकी दूरी प्रस्तावित स्थल से लगभग 01 किमी0 दूर पर है चयनित क्षेत्र का घनत्व शून्य है। प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु आपेक्षित भूमि न्यूनतम है। एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के संमरेखण हेतु अन्य कोई विकलप नहीं है प्रस्तावित क्षेत्र का इको क्लास ।।। है।

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग के लियें आपेक्षित वन भूमि, मसूरी वन प्रभाग की नियंत्रण की 11.148 है0 तथा सिविल वन भूमि 1.074 है0 के हस्तानतरण के पूर्व स्वीकृति एफ0सी0ए0 1980 के तहत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ली जानी आवश्यक है।

क्षेत्र की ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न होने के कारण उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में आम ग्राम सभा का प्रस्ताव , प्रस्ताविक विभाग द्वारा सम्बन्धित से लिया जाना आवश्यक होगा।

प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात अथवा आदेश निर्गत किये जाने पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 तथा अन्य धनराशि जो भी उच्च स्तर से निर्धारित की जायेगी उसे प्रस्ताविक विभाग जमा करेगा तथा अन्य शर्ते जो तय की जायेगी। प्रस्ताविक विभाग उनका अनुपालन सुनिश्चित करेगाा तथा वन भूमि हस्तानारण की स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्न शर्तो का अनुपालन का प्रस्ताविक विभाग द्वारा करना होगा।

1. कार्य स्थल पर प्रस्तावित निर्माण कार्य भू–वैज्ञानिक की भूगर्भीय आख्या/अनुसंशाओं के अरूप कराना होगा तथा स्वीकृति के पश्चात समरेखण किसी भी दशा में मान्य नही होगा।
2. निर्माण कार्य के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों , वन सम्पदा को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी तथा वन जीवों के आवागमन में कोई अवरोद्ध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य के दौरान कार्यगत् श्रमिकों द्वारा वन क्षेत्रों से कोई जलोनी लकडी प्रयोग नहीं की जायेगी और न ही वन क्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति पहुचायी जायेगी।
4. भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की स्वीकृति एवं तत्सम्बन्धी सभी शर्तो का पूर्णतयाः अनुपालन कराना होगा एवं शर्तो को अनुपालन करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।
5. प्रस्तावित मोटर मार्ग की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य के दौरान उत्पादित मलवा जंगल क्षेत्र में नहीं फेका जायेगा और न ही उत्पादित मलवे से वन क्षेत्र को कोई क्षति पहुचायी जायेगी।

अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा उत्पादित मलवे के उचित निस्तारण हेतु डिस्पोजल प्लान बनाना होगा।

(श्री बचन सिंह मल्याल)
अमीन अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड।

(श्री अमित कश्यप)
अपर सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड।

(श्री पूरण सिंह काण्डारी)
, राजस्व उपनिरीक्षक क्यारी (धनोल्टी)।

(श्री अतर सिंह चौहान)
वन वीट अधिकारी क्यारी वीट।

(श्री बच्चन सिंह महर)
वन दरोगा क्यारी अनुभाग, देवलसारी रेंज, मसूरी वन प्रभाग , मसूरी।

(श्री धनीलाल)
राजस्व उपनिरीक्षक नैनबाग।

(श्री वख्तौरू)
वन वीट अधिकारी कोडी वीट।

(श्री आनन्द सिंह कण्डारी)
वन दरोगा कोडी बीट।

क्षेत्राधिकारी
भद्रीगाड रेंज
मसूरी वन प्रभाग

R.S.I
लो0/2012/1

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)

तहसीलदार
धनोल्टी
टिहरी गढवाल

उप जिलाधिकारी
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी, मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– ख्यार्सी
तहसील :– धनोल्टी / नैनबाग, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के **क्यारी--मसरास मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **11.148 है0** आरक्षित वन भूमि **1.074 है0** सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल **12.222 है0** वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **ख्यार्सी** द्वारा दिनांक 05/01/2019 को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को **क्यारी–मसरास मोटर मार्ग** निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

शीला

E:\Bachan Singh\Dhanolti Parking\Kyari to Masras.doc

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 05/01/2019 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत – रब्यारी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अरविन्द सिंह 2	Arvind 3
1	जयपाल सिंह	जयपालसिंह
2	आनन्द सिंह	[illegible]
3	रमेश सिंह रांगड़	Ramesh
4	[illegible] सिंह [illegible]	[illegible]
5	जगमोहन सिंह	[illegible]
6	संजीव	Sanjeev
7	गुरदयाल [illegible]	[illegible]
8	सुरेन्द्र सिंह	S[illegible]
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

ह0/–
ग्राम प्रधान

(मुहर: ग्राम प्रधान ग्राम सभा [illegible] — शीला — [illegible] (टिहरी गढ़वाल))

E:\Bachan Singh\Dhanolti Parking\Kyari to Masras.doc

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– मसरास
तहसील :– धनोल्टी/नैनबाग, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के **क्यारी–मसरास मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **11.148 है0** आरक्षित वन भूमि **1.074 है0** सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल **12.222 है0** वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मसरास** द्वारा दिनांक 05/01/2019को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को **क्यारी–मसरास मोटर मार्ग** निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत मसरास
सह०/–
विकास खण्ड जौनपुर टि०ग०

ग्राम प्रधान

E:\Bachan Singh\Dhanolti Parking\Kyari to Masras.doc

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 05/11/2019 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत – मसरास

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	आशाराम	आशाराम
2	मनसाराम	[illegible]
3	जयन्ति प्रसाद	जयन्ती प्रसाद
4	श्यामलाल	श्याम लाल
5	विनोद प्रसाद	Vism
6	सोवनसिंह	[illegible]
7	रामचन्द्र	रामचन्द्र
8	बचनसिंह	[illegible]
9	बिमला देवी	बिमला
10	सुनिता देवी	Sunita
11	अनिता देवी	अनिता देवी
12		
13		
14		
15		
16		
17		

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत मसरास
विकास खण्ड–जौनपुर टिहरी

E:\Bachan Singh\Dhanolti Parking\Kyari to Masras.doc

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– क्यारी, बिच्छू, मसरास
तहसील :– धनोल्टी/नैनबाग, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के **क्यारी–मसरास मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **11.148 है0** आरक्षित वन भूमि **1.074 है0** सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल **12.222 है0** वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **क्यारी/मसरास** द्वारा दिनांक 05/01/2019 को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को **क्यारी–मसरास मोटर मार्ग** निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी
ह0 नरोत्तम
दि0
वि0 ख0 जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)

ग्राम प्रधान

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 05/11/19 की ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत क्यारी

क0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	बलदेव सिंह पवार	रमेशसिंह
2	रमेश सिंह पुर्वाण	रमेशसिंह
3	च्यमन सिंह	[illegible]
4	सते सिंह रागड़	सतेसिंह
5	चरत सिंह	[illegible]
6	विजयपाल सिंह	विजयपाल
7	गोविंद सिंह	गोविन्दसिंह
8	बचन सिंह पवार	[illegible]
9	सुशिल पवार	[illegible]
10	दिवान सिंह रागड़	दिवानसिंह
11	बचन सिंह रागड़	बचनसिंह
12	वीरबल दास	वीरबल
13	बक्सी	बक्सी
14	सरोप सिंह चौहान	सरोपसिंह
15	सुभाष सिंह	सुभाषसिंह
16	राजेश सिंह	राजेश
17	चन्द्रमणी सिंह	चन्द्रमणी सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी
ह0 [signature]
वि0 ख0 जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रारूप

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी0)।

समझौता ज्ञापन (ग्राम–पंचायत क्यारी)

यह समझौता ज्ञापन प्रथम पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड (प्रयोक्ता ऐजेन्सी/कार्यदायी संस्था)

तथा

द्वितीय पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी क्यारी–मसरास मोटर मार्ग का निर्माण के लिये उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2019 के जून महीने की 25-06-19 तारीख को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गयी है कि भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रयोग में लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा भूमि हस्तान्तरण राज्यपाल उत्तराखण्ड द्वारा लोक निर्माण विभाग थत्यूड के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निस्तारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के मध्य से इस अभिलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लेखित तारीख, माह, और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मुहर लगायी है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकारः–

अपर सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड़ (टि0ग0)	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड़ (टि0ग0)।	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड़ (टि0ग0)।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकारः–

1. सन्तराम सींह
2. रमेशसिंह
3. महानन्द
4. चरण

उम्मेदसिंह

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी, वि0 खं0 जौनपुर, टिहरी गढ़वाल — नारोदेवी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पंत्राक 950 /21सी0 दिनांक 26/ 04 / 2024

सेवामें,

उप वन संरक्षक मसूरी,
वन प्रभाग मसूरी

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी से मसरास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.222 है0 वनभूमि का (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/40428/2019)**

सन्दर्भः– उप वन संरक्षक मसूरी, वन प्रभाग मसूरी के पत्रांक 2686/12–1 मसूरी दिनांक 13.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा लगाई गयी आपत्ति बिन्दु सं0 04 के निराकरण हेतु एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित दरों के आधार पर एन0पी0वी0 धनराशि का आगणन (Cost Benefit Analysis) गठित किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि एन0पी0वी0 धनराशि की पुनरीक्षित दरों का आंकलन इस खण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

पत्रांक :– /21सी0 दिनांक / /2024

प्रतिलिपिः– 1. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता/खण्डीय अमीन अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।